उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

सं0 /2017/05(120)/XXVII(8)/2011

देहरादूनः: दिनांकः: 29 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव्, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

संशोधन

अनुसूची III के कमांक 5 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थातः–

क्र0 सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
5(क)	कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) से भिन्न प्राकृतिक गैस, जब उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई* को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए, ऐसी प्रकियानुसार तथा ऐसे प्रमाण पत्र के विरूद्ध विक्रीत किया जाए, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए।	विनिर्माता या आयातकर्ता	5%

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 01/2017/05(120)/XXVII(8)/2011तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

..........................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

DT/Anil/New Vigyapti/CNG(28-11-2017)

9114
01/01/2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.1001/ 2017/ 05(120)/XXVII(8)/2011,dated 29December, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 1001 /2017/05(120)/XXVII(8)/2011
Dehradun :: Dated:: 29 December, 2017

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to make the following amendment, with effect from the date of issuance of this Notification, in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005,:

AMENDMENT

In Schedule III, after the existing entry at serial no. 5, the following new entry shall be inserted; namely:-

S. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax percentage
1	2	3	4
5(A)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) when sold to an industrial unit* of a dealer registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) for use in the process of manufacture of taxable goods under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 in pursuance of such manner and against such certificate as may be prescribed by the Commissioner.	Manufacturer or Importer	5%

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT/Anil/New Vigyapti/CNG(28-11-2017)